प्रेस नोट 15/11/2021

<u>गोवध निवारण के कम में 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से लगभग 01 कुन्तल गोमांस व 06 चाकू बरामद–</u>

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सुशील घुले के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के कम में थाना दक्षिणटोला पुलिस को उस समय अहम सफलता हाथ लगी जब आज दिनांक 15.11.2021 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर नोमानी स्कूल के पास से जकी अहमद पुत्र इश्तेयाक व रजी अनवर पुत्र इश्तेयाक निवासीगण हमीनपुरा अहमद नगर (नई बस्ती) थाना दक्षिणटोला मऊ के कब्जे/निशानदेही पर लगभग 01 कुन्तल गोमांस व 06 चाकू बरामद कर गिरफ्तार किया गया।इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्तों के विरुद्ध मु0अ0सं0 184,185,186/21 धारा 3/5/8 गोवध निवा0 अधि0 व 4/25 आयुद्ध अधि0 का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

<u>एक वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–</u>

थाना कोतवाली पुलिस द्वारा आज दिनांक 15.11.2021 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान मु0अ0सं0 449/21 धारा 354डी,323,504,506,354 भादवि में वांछित अभियुक्त विशाल सिंह पुत्र वीर सिंह निवासी महावीर नगर कालोनी परदहां थाना कोतवाली मऊ को उसके घर से गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

<u>शांति भंग की आशंका में कुल 18 व्यक्ति व 06 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार–</u>

जनपद के विभिन्न थानों द्वारा आज दिनांक 15.11.2021 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान, थाना कोपागंज पुलिस द्वारा जफर अहमद, मो0 शाहिद व मो0 अहमद निवासीगण जुम्मनपुरा, एहसानुलहक निवासी वाजिदपुरा व मफजुर्रहमान निवासी फुलेलपुरा थाना कोपागंज, थाना कोतवाली पुलिस द्वारा सोनू व मो0 वजीरउल्ला, रवी यादव व मो0 शिवली निवासीगण मुंशीपुरा, अफजल निवासी सिंधी कालोनी थाना कोतवाली, थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा गुलशन हरिजन निवासी बारा, तीरथ राम, सतेन्द्र कुमार निवासीगण सोनौरा, जगमोहन व लल्लू निवासीगण देवरिया बुजुर्ग थाना मुहम्मदाबाद, थाना मधुबन पुलिस द्वारा ओमप्रकाश निवासी सिकड़ीकोल थाना मधुबन, थाना घोसी पुलिस द्वारा बृजेश यादव निवासी माउरबोझ थाना घोसी व सोनू निवासी हिलसा थाना कोपागंज मऊ को शांति भंग की आशंका में तथा थाना हलधरपुर पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त ललिता पुत्र ननकू, रमाकांत पुत्र सीताराम निवासी चकभिखारी, लालू व मेल्हू राजभर पुत्र स्व0 दहाड़ी व अनिल पुत्र मेल्हू निवासीगण छिछोर करौंदी थाना हलधरपुर व थाना दोहरीघाट पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त बृजेश यादव पुत्र सिद्धू निवासी भैंसाखरग थाना दोहरीघाट को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।